न्यायालय संभागीय आयुक्त, जयपुर।

अपील सख्याः–जीसीएमएस नं. 2021/142

1. गोपाल पुत्र श्रीनारायण,
2. मथुरेश पुत्र श्रीनारायण,
3. मांगीलाल पुत्र श्रीनारायण,
4. रामराय पुत्र श्रीनारायण,
5. रामकरण पुत्र जगन्नाथ,
6. कौशल्या देवी पत्नी रामकरण समस्त जाति हरियाणा ब्राहम्ण निवासी ग्राम सुन्दरपुरा, तहसील आंधी, जिला जयपुर।

––अपीलान्ट्स

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार आंधी जिला जयपुर।
2. सरपंच, ग्राम पंचायत धूलारावजी, तहसील आंधी, जिला जयपुर।

––रेस्पोडेन्ट्स

उपस्थितिः–

1. **श्री रामकिशोर रोमानिया, एडवोकेट अपीलार्थी की ओर से**
2. **श्री चन्द्रशेखर बेनीवाल राजकीय अधिवक्ता, रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की ओर से**
3. **श्री रोशन लाल शर्मा एडवोकेट, रेस्पोडेन्ट संख्या 2 की ओर से**

निर्णय

दिनांकः 19.10.2022

अपीलार्थीगण द्वारा यह अपील अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ़ जिला जयपुर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 28.01.2022 से असंतुष्ट होकर राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956, की धारा 75 के तहत प्रस्तुत की गई।

अधिवक्ता अपीलार्थीगण ने अपील के तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया है कि अपीलार्थीगण के कब्जे काश्त की भूमि पर मौके पर कोई भी रास्ता विद्यमान नही होते हुये भी रेस्पोडेन्ट संख्या 2 ग्राम पंचायत धूलारावजी व राजस्व कर्मचारियों द्वारा मिलीभगत करके अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक प्रार्थना पत्र सरपंच ग्राम पंचायत की ओर से ग्राम सुन्दरपुरा के खसरा नम्बर 99, 100, 102, 103, 111, 115, 117, 118, 120 में गलत रूप से चालू रास्ते बताते हुये रिकार्डेड खातेदारों काश्तकारों को बिना पक्षकार बनाये व बिना सूचना दिये राजस्व रिकार्ड में अमल कराने हेतु दिनांक 28.01.2022 को पेश किया, जिस पर तहसीलदार आंधी द्वारा दिनांक 28.01.2022 को ही अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी के समक्ष रिपोर्ट पेश की तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थीगण को किसी प्रकार की तहरीर/नोटिस जारी किये बिना ही उसी दिनांक को रिपोर्ट प्रस्तुत होने का अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका में अंकित कर दिया गया एवं उसी दिनांक 28.01.2022 को ही अधीनस्थ न्यायलय ने भी कानूनी प्रावधानों के विरूद्ध हाल अपीलार्थीगण रिकार्डेड खातेदारों काश्तकारों को बिना सुने एकपक्षीय

P.T.O.

संभागीय आयुक्त
जयपुर

अपीलाधीन निर्णय पारित कर प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रकरण का अंन्तिम निस्तारण कर दिया गया जो निर्णय दिनांक 28.01.2022 तथ्यों एवं कानून के विपरित होने की वजह से निरस्तनीय है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय ने विवाद के वास्तविक मुद्दे को समझे बिना कतई परवर्स अपीलाधीन आदेश दिनांक 28.01.2022 पारित किया है जो पूर्णतः विधि विधान एवं न्यायिक प्रक्रिया के विरूद्ध व अवैध होने की वजह से निरस्तनीय है। उन्होने आगे कथन किया है कि विधि की यह सुस्थापित व्यवस्था है कि किसी भी निर्णय से प्रभावित होने वाले पक्षकारों/व्यक्तियों को अपना पक्ष समर्थन एवं सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना कोई आदेश पारित नही किया जा सकता परन्तु फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलार्थीगण को अपना पक्ष समर्थन एवं सुनवाई का कोई अवसर प्रदान किये बिना ही अपीलाधीन निर्णय दिनांक 28.01.2022 पारित फरमा दिया गया जो निर्णय प्राकृतिक न्याय एवं न्याय प्रशासन एव न्याय के सर्वमान्य सिद्धान्तों के विपरित होने की वजह से निरस्त किये जाने योग्य है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पोडेन्ट संख्या 2 ने जो आवेदन पत्र दिनांक 28.01.2022 को प्रस्तुत किया जिसमें बिना कोई जॉच/कार्यवाही किये, बिना कोई जांच किये ही, बिना सूचना, बिना नोटिस के उसी दिनांक को स्वीकार कर अपीलाधीन निर्णय पारित कर दिया जबकि उक्त प्रार्थना पत्र किसी ग्रामवासी द्वारा प्रस्तुत नही किया गया था बल्कि रेस्पोडेन्ट संख्या 2 द्वारा मात्र अपने मिलने वाले व परिवारजन को अनुचित लाभ पहुॅचाने की गरज से द्वेषतापूर्वक राजस्व कर्मचारियों से मिलीभगत कर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था जिस पर बिना सुविवेक लगाये बिना ही अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया गया जो पूर्णत विधि विरूद्ध व अवैध होने की वजह से निरस्त किये जाने योग्य है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ ने अपना निर्णय पारित करने में जिन परिपत्रों की पालना में निर्णय पारित किया जाना अंकित किया है उन परिपत्रों की शर्तो की बिलकुल भी पालना नही की गई बल्कि उल्लंघन करते हुये परिपत्र की मूल मंशा के विपरित रिकार्डेड खातेदार काश्तकार को बिना सुने एवं उन्हे बिना किसी प्रकार का नोटिस दिये ही प्राकृतिक न्याय के विरूद्ध एवं विधि के सामान्य सिद्धान्तों की घौर उपेक्षा कर अपीलाधीन निर्णय दिनांक 28.01.2022 पारित किया गया है, उक्त परिपत्र के अनुसार मात्र उन खसरा नम्बरों में से रास्ता अंकित किया जा सकता है जिनमें नक्शा ट्रेस में डोटेड लाईन दर्शित हो किन्तु हस्तगत प्रकरण मौके पर कोई रास्ता चालू नही है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश प्रथम दृष्टया ही कानूनी की मंशा के विरूद्ध होने से निरस्तनीय है।

P.T.O.

संभागीय आयुक्त
जयपुर

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश की जानकारी अपीलान्ट को पूर्व में नही थी दिनांक 23.04.2022 को रेस्पोडेन्ट संख्या 2 मौके पर आया और अपीलार्थीगण को धमकी दी कि मैने आपकी भूमि में से मेरे मिलने वाले व्यक्तियों के लिये गैर मुमकिन रास्ता उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ़ से आदेश प्राप्त करके दर्ज करवा दिया है इसलिये आपकी फसल को शीघ्र काट ले अन्यथा प्रशासन की सहायता से आपकी फसल को नष्ट करते हुये मौके पर रास्ता चालू करवा दूँगा जिस पर अपीलान्ट ने दिनांक 26.04.2022 को अपीलाधीन आदेश की नकल हेतु आवेदन किया जिसकी नकल दिनांक 29.04.2022 को तैयार की जाकर अपीलान्ट को प्राप्त हुई, जिस पर अपीलान्ट द्वारा अपने अधिवक्ता से सम्पर्क किया तो उनके द्वारा बताया गया कि उक्त आदेश की तो जयपुर में अपील होगी आप जयपुर जाकर कोई अधिवक्ता नियुक्त कर अपील पेश करे, जिस पर अपीलान्ट जयपुर आकर अपना अधिवक्ता नियुक्त कर कानूनी सलाह प्राप्त कर रूपये पैसों का इन्तजाम कर बिना किसी विलम्ब के जानकारी से अन्दर मियाद उक्त अपील न्यायालय श्रीमान् के समक्ष प्रस्तुत की है तथा उक्त तथ्यों से अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को माफ किये जाने हेतु अपीलार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम अपील के साथ अलग से पेश किया गया जो स्वीकार योग्य होने से स्वीकार फरमाया जावें तथा अपील के समस्त तथ्यों के मद्देनजर अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ, जिला जयपुर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 28.01.2022 निरस्त फरमाया जावें।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा राज्य सरकार के परिपत्रों की अनुपालना में अपीलाधीन आदेश दिनांक 28.01.2022 पारित किया गया है जिसमें किसी प्रकार की कानूनी गलती नही की गई। अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जावें।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 2 ने कथन किया है कि उक्त वादग्रस्त आराजी में पूर्व में डोटेड लाईन से बारहमासी चालू रास्ता पूर्व अर्से दरार्ज से चालू है तथा राज्य सरकार द्वारा आमजन को रास्तों की समस्याओं से निजात दिलाने की मंशा के अनुसरण में राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 30.09.2021 की अनुपालना में तहसीलदार आंधी द्वारा उक्त रास्तों को राजस्व रिकार्ड में दर्ज करने हेतु प्रस्ताव भिजवाने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 28.01.2022 पारित किया गया है जिसमें किसी प्रकार की कानूनी गलती नही की गई है।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 2 ने कथन किया है कि उक्त रास्ता गांव की मुख्य आबादी को जोड़ता है तथा अपीलार्थीगण की आराजी उक्त रास्ते के अंतिम छोर पर एवं गांव की आबादी के नजदीक होने से अपीलार्थीगण द्वारा उनकी आराजी के पीछे के काश्तकारों को गांव में आने–जाने से बांधित करने एवं हैरान व परेशान करने की गरज से अपील न्यायालय श्रीमान् के समक्ष प्रस्तुत की गई है क्योंकि उक्त रास्ते बाबत अन्य किसी भी काश्तकारों

P.T.O.

संभागीय आयुक्त
जयपुर

को कोई आपत्ति नही है केवल अपीलार्थीगण द्वारा ही अन्य काश्तकारों को हैरान व परेशान करने की गरज से अपील प्रस्तुत की की गई है जो जनहित में खारिज योग्य है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। अपील प्रस्तुत होने में हुये विलम्ब के सम्बन्ध में अपर न्यायालयों की अनेकों ऐसी नजीरें है जिनमें अपील प्रस्तुत करने में हुये विलम्ब को कण्डोन किया गया है, ऐसी स्थिति में अपीलार्थी के प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम एवं शपथ पत्र में अंकित तथ्यों पर विश्वास करते हुए एवं विलम्ब के सम्बन्ध में नरमी का रूख अपनाते हुऐ अपीलार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाता है तथा अपील प्रस्तुत करने में हुऐ विलम्ब को कण्डोन किया जाता है तथा अपीलार्थीगण वादग्रस्त आराजी के रिकार्डेड खातेदार काश्तकार होने से वे अपीलाधीन आदेश दिनांक 28.01.2022 से सीधे तौर पर प्रभावित पक्षकार होने से अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र धारा 96 सी.पी.सी. भी स्वीकार किया जाता है। पत्रावली के अवलोकन से जाहिर होता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वादग्रस्त आराजी के खातेदारान को बिना सुनवाई का कोई अवसर दिये ही जल्दीबाजी में एक ही दिन मे सम्पूर्ण कार्यवाही करते हुए अपीलाधीन आदेश दिनांक 28.01.2022 पारित गया है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 28.01.2022 प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरित होने से उसे उचित नही ठहराया जा सकता।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलार्थीगण स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ़ जिला जयपुर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 28.01.2022 को अपीलार्थीगण की आराजी की हद तक निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ़ जिला जयपुर को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण में उभयपक्ष को साक्ष्य, सबूत, दस्तावेजात इत्यादि प्रस्तुत करने का एवं सुनवाई का समुचित अवसर दिया जाकर प्रकरण में पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करें।

(विकास एस.भाले)
संभागीय आयुक्त,
जयपुर।

निर्णय आज दिनांक 19.10.2022 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

संभागीय आयुक्त,
जयपुर।